कार्यालय– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

सेवा में, पत्रांक– 292 /12–1 देहरादूनः दिनांकः 1 ~~जुलाई~~ अगस्त 2024

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

विषय :– जनपद–चमोली के अन्तर्गत कुलिंग से दिदिना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.459 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– **FP/UK/ROAD/145990/2021**)

सन्दर्भ :– आपकी पत्र संख्या–2331/12–1 दिनांक 28.05.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगतनीय है कि विषयांकित प्रकरण का वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। प्रेषित प्रस्ताव का अवलोकन करने के पश्चात् प्रस्ताव में निम्नानुसार अपूर्णता दृष्टिगत हो रही है, जिसका निराकरण किया जाना तत्काल आवश्यक है। प्रस्ताव में इंगित कमियां निम्नानुसार हैं :–

1. प्रस्ताव दो प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव की एक अतिरिक्त हार्ड प्रति भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. प्रस्ताव में सभी प्रपत्र/प्रमाण–पत्रों को क्रमवार यथास्थान विषयसूची तैयार कर संलग्न की जानी है।
3. भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–1, 2 एवं 3 में सभी बिन्दुओं पर सूचना अंकित कर प्रस्ताव के प्रारम्भ में क्रमवार संलग्न करने का कष्ट करें।
4. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या–FC-11/43/2021-FC दिनांक 16.01.2023 में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है :–
   a. In respect of linear projects, the stiuplated norms of 2% and 0.5% towards the cost of Wildlife Management Plan and Soil and Moisture Conservation Plan, as provided in the Ministry's guideline dated 08-06-2022, will be proportionate to the extenet of forest land involved instead of total project cost or actual cost of implementation of such plans, whichever is more, should be charged from the user agency.
   b. The provisions of of Wildlife Management Plan or Soil Moisture Conservation Plan shall be approved by the compentent authority in the State and accordingly, the deficit amount, if any, from the money already realized from to the tune of 2% and / or 0.5% of project cost proportionate to the extent of forest land involved, shall be paid by the user agency, and the same shall be deposited in to the CAMPA account.

   उक्तानुसार Wildlife Management Plan and Soil and Moisture Conservation Plan तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न/अपलोड़ किया जाए।
5. प्रस्ताव में existing road से लाभान्वित होने वाले गांव की दूरी का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना है।
6. प्रस्तावित परियोजना में अत्यधिक वृक्षों का पातन निहित है। वृक्षों की संख्या को न्यूनतम तक सीमित किया जाय।
7. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये निर्देश के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा मलवा निस्तारण स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि परियोजना से उत्सर्जित होने वाले मलवे का तकनीकी एवं सुव्यवस्थित ढंग से स्थिरीकरण किया जाये ताकि प्रस्तावित स्थल को वृक्षारोपण हेतु उपयोग में लाया जा सके। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा मलवा निस्तारण स्थल की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट अपनी पूर्ण संस्तुति सहित SIR के साथ प्रस्ताव में संलग्न करते हुये ऑनलाईन पार्ट–II में यथास्थान अपलोड की जाय।
8. प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रस्तावक विभाग के द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में लगाया जाय कि मलवा निस्तारण स्थल के वृक्षों का पातन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
9. प्रभागीय वनाधिकारी की SIR में प्रस्ताव का विवरण शामिल करते हुये SIR संलग्न प्रारूप में तैयार कर परिवेश पोर्टल पर अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें। (प्रति संलग्न)
10. प्रस्तावक विभाग को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वन भूमि पर गंदगी नहीं फेंकी जाएगी।

के0एम0एल0 फाइल पर लाभान्वित होने के लिए प्रस्तावित गांव के पास सभी मौजूदा सड़कों को चिह्नित किया जाए। मौजूदा सड़कों और प्रस्तावित सड़कों को अलग–अलग रंगों से चिह्नित किया जाए।

12. डम्पिंग यार्ड को जनोपयोगी कार्यों हेतु उपयोग में लाया जायेगा।
13. मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल के स्लोप को बेंचेस में इस प्रकार विभाजित किया जाये की वह Stabilized हो जाये ताकि भविष्य में उक्त स्थल में पौधा रोपण करने में सुविधा हो।
14. पौधा रोपण करते समय प्रस्तावित परियोजना में नेशनल इविरोनिमटनल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) द्वारा विकसित जैव–उर्वरक तकनीक को अपनाया जाय।
15. मलवा निस्तारण स्थल को वनीकरण के पारंपरिक तरीकों को Vesicular Arbuscular Maycorrizae (VAM) और पौधों की जड़ों के साथ साझेदारी से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के उपयोग के साथ पूरक किया जाएगा। ये पौधों की जड़ों पर उगते हैं और पौधों को तेज गति से पानी और पोषण विशेषकर फास्फोरस प्रदान करते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचना के अनुसार प्रस्ताव में जो कमियॉ पाई गयी हैं उन कमियों/सूचनाओं के निराकरण हेतु सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सी प्रस्ताव की सभी प्रतियों को वापस प्राप्त कर लेवें तथा समस्त इंगित कमियों/सूचनाओं का निराकरण करते हुये प्रस्ताव सभी तीन मूल प्रतियों में सम्बन्धित वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्या :– 292 /12–1 दिनांकित।

1. **प्रतिलिपि** :– प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर को उपरोक्त विषयक क्रम में इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव में इंगित समस्त कमियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना सम्बन्धित वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

2. **प्रतिलिपि** :– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, थराली को उपरोक्त विषयक क्रम में इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव में इंगित समस्त कमियों का बिन्दुवार निराकरण कर आख्या सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।